न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–13/2023
जीसीएमएस नं.–2023/349

चरणजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी चक 27 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज

––– प्रार्थी

बनाम्

1. बुधसिंह पुत्र हरभजनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. ईश्वरचन्द पुत्र कालूराम जाति चौधरी निवासी चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) मृतक

2/1. तिलकराज पुत्र ईश्वरदास
2/2. अमरनाथ पुत्र ईश्वरदास
2/3 प्रेमचन्द पुत्र ईश्वर दास
2/4 गगन कुमार पुत्र ईश्वर दास
2/5 निर्मला देवी पुत्री ईश्वर दास
2/6 सलोचना पुत्री ईश्वर दास
2/7 शारदा पुत्री ईश्वर दास
2/8 शारदा पुत्री ईश्वर दास
अकवाम चौधरी निवासी डमवाल तहसील नूरपुर जिला कांगडा हि.प्र.)

3. चन्दसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्वराजसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. नक्षत्रसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सुभाष पुत्र अमरसिंह जाति चौधरी निवासी चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री साहबराम एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1, 3 ता 6 की ओर से
3. श्री बलदेवसिंह भगू एडवोकेट अप्रार्थी सं.–7 की ओर से
4. राज पैरोकार अप्रार्थी सं.–8 की ओर से
5. एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं.–2 के विधिक वारिसान की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनांकः–10/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यो के नाम से सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–57/34 के किला नं.–1/2 से 25/2 की कुल 6.073 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि सयुक्तं रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा इसी चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 का किला नम्बर 6, 11 ता 13 प्रत्येक 0.253, 14/1 का 0.126 हैक्टर कुल 1.138 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी के अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है तथा जिसकी काश्त संभाल प्रार्थी करता है। जमाबन्दीयों की प्रतियां सलग्नं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं.–6 में सिंचाई सुविधा हेतू से ट्यूवबैल स्थापित कर रखा है। जिस ट्यूवबैल का विधूत कनैक्शन विधूत विभाग से प्रार्थी के नाम से लिया हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा अपनी सयुक्तं खाता चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं. 57/34 की कृषि भूमि की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए अपनी मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं.–6 में स्थापित टयूवबैल से भूमिगत पाईप लाईन डालने के लिऐ अप्रार्थी सं.–1 व 2 की कृषि भूमि चक 2 पी एम के मु.नं.–23 पं.नं.–57/35 के किला नं.–1, 2, 10 अप्रार्थी सं.–3 ता 5 मु.नं.–28 पं.नं.–57/20 के कि.नं.–4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 21 के बीचो बीच अप्रार्थी सं.–6 के पिता अमरलाल के नाम के मु.नं.–22 पं.नं.–57/27 के 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 के बीचो बीच व अप्रार्थी सं.–7 के मुरब्बा नं. 736 पं.नं.–57/13 के किला नं.–5 में से होते हुऐ लघुतम मार्ग से भूमिगत पाईप लाईन डालकर अपने चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 के रक्बा में भूमिगत पाईप लाईन डालने की मौखिक अनुमति अप्रार्थी सं.–1 ता 7 से ली गई तो अप्रार्थी सं.–1 ता 7 द्वारा अरसा करीब अढाई वर्ष पूर्व अपनी अपनी उपरोक्त भूमि में भूमिगत पाईप लाईन डालने की मौखिक अनुमति प्रार्थी को प्रदान कर दी गई पुर्व में प्रार्थी अपनी उक्त पाईनलाईन के लिऐ लगा ट्यूवबैल जरनैटर से चलाता था तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा विद्युत कनैक्शन लेने के उपरांत बिजली की मोटर लगाकर ट्यूवबैल से सिंचित करता है। अप्रार्थी सं.–6 के पिता अमरलाल का देहान्त हो चुका है जिसका अप्रार्थी सं.–1 विधिक वारिस है तथा मृतक अमरलाल की भूमि को अप्रार्थी सं.–6 के निर्देशन में अप्रार्थी सं.–1 काश्त करता है। चूंकि सयुक्तं खाता चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 एवं चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरख्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 के मध्य मात्र अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की ही उपरोक्त वर्णित भूमि में ही भूमिगत पाईप लाईन डाली जानी थी जिस पर अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की मौखिक स्वीकृति एवं सहमति होते हुऐ अपार्थी सं.–1 ता 7 की ही कृषि भूमि चक 2 पी एम के मुरब्बा क्रमशः मु.नं.–28 पं.नं.–57/20, 4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 21 के बीचो बीच मु.नं.–22 पं.नं. –57/27 के 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 के बीचो बीच, मु नं.–23 [illegible]35 के किला नं.–1, 2, 10 व मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 को किला [illegible] द्वारा 3–3 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसने भूमिगत पाईप लाईन [illegible] का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 के रक्बा में डालकर व गडडो को मिटटी द्वा[illegible]रकर पुनः उसी स्थिति में समतल कर दिया और अपने ट्यूवबैल से अपनी उक्त कृषि भूमि को सिचिंत करने लगे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की भूमि के उपरोक्त बीधो में भूमिगत पाईप लाईन डाली जा रही थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उस समय अप्रार्थी सं.–1 ता 7 द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया बल्कि स्वयं अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की मौखिक स्वीकृति एवं सहमति से ही भूमिगत पाईप लाईन डाली गई थी क्योकिं उसके आगे व पिछे की भूमि स्वयं प्रार्थी की ही थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमिगत पाईप लाईन अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की मौखिक स्वीकृति एवं सहमति से ही भूमिगत पाईप लाईन डाली गई जिसे डालने में प्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च किए तथा तत्पश्चात विद्युत कनैक्शन लेने में भी प्रार्थी के हजारो रूपये वहन किए तथा प्राथी अपने द्वारा डाली गई भूमिगत पाईप लाईन से अप्रार्थी सं.–1 ता 7 को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है और अप्रार्थीगण की काश्त में कोई बाधा उत्पन्न है और ना ही उन्हे किसी प्रकार की कोई क्षति हो रही है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त पाईप लाईन का निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा मौका पर प्रार्थी की इसी सिचाई अनुसार फसल काश्त की हुई है। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त पाईपलाईन अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की सहमति से ही डाली गई थी उपरोक्त पाईप लाईन से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशानी नही है चूंकि राज्य सरकार के द्वारा आर टी एक्ट की धारा 251ए बनाये जाने की भी यही मंशा है कि काश्तकार व्यक्ति को अन्य स्थान से सिंचाई हेतू भू जल मार्ग की स्वीकृति दी जावे ताकि काश्तकार अपनी कृषि भूमि में सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा का उपयोग व उपभोग कर सके जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा वर्तमान में प्रार्थी की सिंचाई सुविधा बाबत्त डाली गई पाईपलाईन में व्यवधान पैदा करने का कृत्य विधि विरुद्ध है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि के लिऐ भूमिगत पाईन डालने के पश्चात अब पिछले कुछ दिनो से कुछ अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी के साथ रंजिशवश प्रार्थी द्वारा भूमिगत डाली गई पाईप लाईन की सिंचाई सुविधा में बाधा डालने लगा जिस पर आज से अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 ता 7 से उपरोक्त पाईपलाईन के सम्बधं में लिखित स्वीकृति दिलाने बाबत सहयोग करने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ता 7 ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गए तथा अप्रार्थी सं.–1 ने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि मैं अपने स्वंय व अमरलाल के खेत में डाली गई इस पाईपलाईन को तोडकर स्थाई रूप से बन्द कर दूंगा इसलिऐ प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी सयुक्त खाता की कृषि चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ चक 2 पी एम के मु.नं.–23 पं.नं.–57/35 के किला नं.–1, 2, 10 मु.नं.–28 पं.नं. –57/20 के कि.नं.–4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 21 के बीचो बीच, मु.नं.–22 पं.नं.–57/27 के 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 के बीचो बीच व अप्रार्थी सं.–7 के मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं. –5 से होते हुऐ लघुतम मार्ग से भूमिगत डाली गई पाईप लाईन [illegible] स्वीकृति प्रदान की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजि. कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री साहबराम एवं अप्रार्थी सं.–7 की [illegible] से श्री बलदेवसिंह भगू ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं.–7 ने ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं.–2 के विधीक वारिसान की आरे से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं.–1, 3 ता 6 ने जवाब पेश

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कभी भी अप्रार्थी से कभी कोई मौखिक स्वीकृति नहीं ली गई है जबकि काश्तकार अपने खेतो मे ढाणी (घर) बना कर निवास नहीं कर रहे है। मात्र अप्रार्थी सं.–1 जो अपने खेत के किला नं.–4 में ढाणी बना कर निवास करता है, की बिना स्वीकृति के ही रातोंरात पाईप लाईन भूमिगत लगाई गई जबकि विरोध करने पर अपने राजनैतिक व दबंगई का डर दिखाया गया व कहा गया कि अगर ज्यादा विरोध करोगे या मेरी पाईप लाईन को नुकसान पहुंचाओगें तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। हम अप्रार्थीगण सीधेसाधे किसान है जिस कारण से डर गए। अब तब पाईप लाईन जगह–2 से लिकेज हो कर हमारी फसल को नुकसान कर रही है तो हमने प्रार्थी को कहा कि तुम्हारी पाईप लाईन खराब है और इसे ठीक करवाओं तब प्रार्थी ने कहा कि ये तो ऐसे ही चलेगी, तुम्हारी खेती खराब होती है तो हो जाऐ मुझे कोई फर्क नही पडता है। तुम ज्यादा करोगें तो मैं तुम्हे कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा व उसने हमारी बात नहीं मानी वा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यो के आधार पर एक तरफा स्थगन प्राप्त कर लिया है व पाईप से पानी निकल कर हमारे खेतो में जगह–2 गढ्ढे बन गए जो पुलिस से मिलीभगत कर उन गढ्ढो को सही किया गया मगर कई जगहो पर गढ्ढे आज भी है व आज भी जबरदस्ती हमारे खेत में बिजांद फसल को नुकसान हो रहा है परन्तु प्रार्थी मानने को तैयार नहीं है व अदालत के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत को गुमराह किया जा रह है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी काश्तकार की कोई मौखिक सहमति/स्वीकृति नहीं ली गई है बल्कि मशीन द्वारा रातोंरात भूमि मे पाईप लाईन को लगाया गया था परन्तु जब पता चला तो अप्रार्थीगण द्वारा विरोध किया तब प्रार्थी अपनी राजनैतिक व गुडागर्दी का भैय दिखा कर हम साधारण किसानो को चुप करवा दिया गया। अब हम अप्रार्थीगण की खड़ी फसलो को पानी का रिसाव होकर खराब होने की शिकायत प्रार्थी से की तो प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय में गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर हम अप्रार्थीगण को कह रहा है कि अब तो उपजिला कलेक्टर अनूपगढ ने भी स्थगन आदेश दे दिया है अब तुमने कोई शिकायत की तो स्थगन की आड़ में मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। इसक प्रकार प्रार्थी बहूत ही चालाक व होशियार किस्म का व्यक्ति है तथा उक्त प्रकरण में लेशमात्र सच्चाई नही है। न्यायालय को भी गुमराह कर बिना कोई कानूनी आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा मौखिक स्वीकृति नहीं दी गई। जबकि रातोंरात मशीनो द्वारा पाईप लाईन भूमि मे से निकाली गई है जिसका विरोध करने पर राजनैतिक व गुडागर्दी से मारने की धमकींया दी गई। अब जब प्रार्थी से फसले खराब हो रही है व जमीन मे पानी के रिवास से जगह–2 गढ्ढे बन गऐ है तब अप्रार्थीगण ने कहा तो राजनैतिक पहुंच दिखा कर हम चुप करवा [illegible] ज्यादा कहने पर जान से मारने की धमकींया दी गई। जिस कारण [illegible] न्यायालय को गुमराह कर न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कहा कि मौखिक स्वीकृति होने के बावजुद मुझे पाईप लाईन से पानी लगाने से बाधित कर मेरी पाईप [illegible] को उखाड़ रहे है जबकि हमारी बिजांद फसल को आऐ दिन नुकसान कारित किया जा रहा है। पाईप लाईन की कोई मंजुरी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है अगर हमारी मौखिक सहमति ली गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

होती तो हम अपनी जमीन के बीचो बीच पाईप डालने की स्वीकृति कतई प्रदान नही करते। अगर पाईप द्वारा पानी लिया जाता है तो धारा–251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सभी काश्तकारो से लिखित सहमति लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर मंजुरी की कार्यवाही की जानी होती है परन्तु प्रार्थी ने ऐसा नहीं कर हम काश्तकारों को भारी नुकसान पहुचाया जा रहा है। अंतर्गत धारा–251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी खेती हर किसान को कोई भूमिगत पाईप लाईन को किसी अन्य काश्तकार के खेत से निकालने के लिए लिखित सहमति लेनी आवश्यक व आज्ञापक है। जिसकी स्वीकृति हेतु समस्त काश्तकारो के हस्ताक्षर सहित जिनके खेत से भूमिगत लाईन को लाया जा रहा है की सहमति लिऐ गऐ हस्ताक्षरो सहित सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर यह इजाजत दी जावे कि मुझ प्रार्थी को उक्त सभी काश्तकारो के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है आप प्रकरण की जांच कर मुझ प्रार्थी को खीत मे पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन की अनुमति दी जाने की कृपा करे लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रकरण में ऐसा कुछ नही किया है। केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र में हम अप्रार्थीगणक की तरफ से मौखिक सहमति लिख कर अदालत को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहा है।

अप्रार्थी सं.–7 ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मन अप्रार्थी की भूमि में से मन अप्रार्थी की मौखिक स्वीकृति एवं सहमति से ही पाईपलाईन डाली गई थी तथा प्रार्थी ने अन्य काश्तकारो की सहमति से भी उनके मुरब्बो में पाईपलाईन डालकर अपनी भूमि में सिंचाई सुविधा कर रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमिगत डाली गई पाईपलाईन गहरी होने के कारण मुझे काश्त करने में कोई असुविधा व क्षति नंही है। मुझ अप्रार्थी के मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं.–5 में प्रार्थी द्वारा डाली गई भूमिगत पाईपलाईन स्वीकृत कर दी जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपति नंही है।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी कि संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का रिपोर्टानुसार चक 2 पी.एम के पं.नं.–57/13 से 57/12, 57/20, 57/28, 57/27, 57/35 में से तिरछा लेते हुए प.नं.–57/34 तक सिंचाई हेतु पाइपलाइन डली हुई है। कृषि सिचाई पाइपलाइन जमीन में लगभग तीन फीट नीचे बताई गई है इस कारण पाइपलाइन में आये कि.नं. की जानकारी मौके पर उपस्थित वादी चरणजीत सिह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख से ली गई तो उसने चक 2 पी.एम. के प.नं.–57/13 का कि.नं.–5, प.नं.–57/12 का कि.नं.–25, पं.नं.–57/20 का कि.नं.–4, 5, 7, 8, 12, 19 से 21 पं.नं.–57/28 का कि.नं.–1, प.नं.–57/27 का कि. नं.–6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, पं.नं.–57/35 का कि.नं.–1, 2, 10 [illegible] प.नं.–57/34 तक पाइपलाइन सिचाई गई है। मौके पर सिंचाई पाइपलाइन चालू [illegible] चक 2 पी.एम. के पं.नं.–57/12 कि.नं.–25 व 57/28 किं नं–01 में पाइपलाइन [illegible] बताया जिनका अंकन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से प्राप्त आदेश में [illegible] है. जिनका वादी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जो जमाबन्दी सहित संलंग्न है। मौके पर प्रतिवादी बुधसिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति रायसिख द्वारा मु.नं.–57/34 जिसमें कि.नं.–1, 2, 10 सिंचाई पाइप लाइन में आते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पर मा० सिविल न्यायालय अनूपगढ द्वारा पं.सं.–63/2023 दिनांक 20.11.2023 से रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन भी दिया गया है जिसका जमाबंदी में नोट अंकित है। इस प्रकार मौका जांच में पाया गया कि परिवादी द्वारा बताये प.नं.–व कि.नं. में सिंचाई पाइपलाईन डली हुई है एवं चालू है मु.नं.–57/35 मा० सिविल न्यायालय का स्थगन है।

प्रार्थी को अपनी सयुक्त खाता की कृषि चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ चक 2 पी एम के मु.नं.–23 पं.नं.–57/35 के किला नं.–1, 2, 10 मु.नं.–28 पं.नं.–57/20 के कि.नं.–4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 21 के बीचो बीच, मु.नं.–22 पं.नं.–57/27 के 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 के बीचो बीच व अप्रार्थी सं.–7 के मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं.–5 से होते हुऐ लघुतम मार्ग से भूमिगत डाली गई पाईप लाईन की अनुमति चाही है। प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 पी एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–57/34 की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ चक 2 पी एम के मु.नं.–23 पं.नं.–57/35 के किला नं.–1, 2, 10 मु.नं.–28 पं.नं.–57/20 के कि.नं.–4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 21 के बीचो बीच, मु.नं.–22 पं.नं.–57/27 के 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 के बीचो बीच व अप्रार्थी सं.–7 के मुरब्बा नं.–36 पं.नं.–57/13 के किला नं.–5 व पत्थर नं.–57/12 के किला नं.–25 से होते हुऐ लघुतम मार्ग से भूमिगत डाली गई पाईप लाईन की अनुमति दी जाकर पाईप लाईन डालने की ऐवेज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज.काश्त. (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के **दस प्रतिशत** राशि राज कोष तहसील अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 10/03/26 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested